



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2553 / 100m.m
सेवा में ,

दिनांक : 06/09/2017

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :— ग्वाला से भेरणी मोटर मार्ग निर्माण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :— EDS दिनांक 04.08.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In reply to point no. 2 of EDS, it is mentioned that the geo referenced digital map has been uploaded at para-C (iii) & C (iv) of online Part-I but the map uploaded at C (iii) is the Sol toposheet map and the map at C (iv) is the digital map given in google earth image which does not serve the purpose. The GIS software generated geo referenced digital map showing geo coordinates at 200-300 mtr interval along the alignment of road including all turning points may be uploaded at para-C (iv) Part-I. The original hard copy of the digital map may also be provided as already asked earlier.	वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित संशोधित geo-referenced digital map में coordinates regular interval 200m to 300m में दर्शाते हुये पार्ट—I के क्रम संख्या C (iii) and C (iv) में अपलोड कर दिये गये हैं तथा हॉर्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
2	In reply to point no.3 of EDS, though some of the required documents have been providing in original but original or attested hard copy of the proceeding of the meeting of Village Level Committee of only Bherni village has been provide and the same for the remaining four villages is yet to be submitted.	FRA Certificate संशोधित करते हुए Date wise Sequence में लगाकर समस्त ग्रामों के Village Level Committee Certificate सहित पार्ट—I Para-K(a) में अपलोड कर दिया गया है। जिसकी हॉर्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
3	In reply to point no.4 of EDS, the geo referenced digital map area proposed for CA has been mentioned to be provided in the hard copy of the proposal sent by post but the same not found in the hard copy and may required to submitted.	CA referenced digital map की हॉर्ड कॉपी पुनः संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
4	Now a revised enumeration list has ben uploaded as additional document in Part-II but the original and attested hard copy of the same has not been submitted by the State Government.	Enumeration list की हॉर्ड कॉपी डी.एफ.ओ. स्तर से उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :— उपरोक्त प्रपत्र।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.

कर्णप्रयाग

FORM-I
(for Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

No. /

Dated : 06 /09 /2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that **4.957 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of **Public Works Department Uttarakhand** for **Construction of Gwala to Bherni motor Road Under Mukhya Mantri Ghosna** falls within jurisdiction of Tefna(Gwala) Village in Karanprayag Tehsil And Punkila, Rajbagti (Simli magri), Bherni (Paniger), Bherni village in Tehsil-Ghat,

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.957 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above




Asheesh Joshi
 District Magistrate
 Chamoli (Uttarakhand)

Office of the District Collector, District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act)FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constitiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri Asheesh Joshi, District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 06.09.2017... At ~~12.00 Hrs~~ Chamoli in which the application claiming rights in village - Tefna(Gwala)Tehsil-Karanprayag And Village- Punkila, Rajbagti(Simli magri), Bherni(Paniger), Bherni of Tehsil-Ghat, area Measuring 4.957 Hectares for the **Construction of Gwala to Bherni Motor Road Under Mukhya Mantri Ghoshna** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Karanprayag and Ghat Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.



Asheesh Joshi
District Magistrate –cum-
Chairman, District Level
Committee, Chamoli

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :— मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.150 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 0.150 हे० वन भूमि) का लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील:-कर्णप्रयाग) की दिनांक ३०/०७/१७ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री को० एन० गोस्वामी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्ष में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


- 1- श्री कै० स्ट० गोस्वामी उपजिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री गुगल किशोर प्रभागी उपप्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री दिव्य हिंदु सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव
- 4- श्री पर्दिपाल कुमार नेगी वन अधिकार समीति सदस्य बाणबोली
श्री मालकल पुरीहित वन अधिकार समीति सदस्य मालटारो पुरीहित कोठडौ सिंहवाड़
श्रीमती शुशीला देवी वन अधिकार समीति सदस्य शुशीला देवी


उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.150 हे० वनभूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा

सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा थराली के विक्रेता खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.150 हेक्टर भूमि लो0 नि�0 वि0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति


तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद - चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति


तहसील-कर्णप्रयाग
जनपद - चमोली

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :— मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.832 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.975 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.807 हे० वन भूमि) का लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील:-चमोली) की दिनांक ०५/०९/१७ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री परमानन्द राम उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


1— श्री परमानन्द राम उपजिलाधिकारी चमोली  अध्यक्ष

2— श्री अमृत किंग उपप्रभागीय वनाधिकारी  सदस्य

3— श्री दिव्य विज सहायक समाज कल्याण अधिकारी  सदस्य / सचिव

4— श्री महिला खिंडे वन अधिकार समीति सदस्य चमोली 

श्री मालकूर फूर्हित वन अधिकार समीति सदस्य चमोली एवं विधान सभा थराली 

श्री शशीला देवी वन अधिकार समीति सदस्य 

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 4.807 हे०, वनभूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा

द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनशंसा का गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत दन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड घाट परिषेत्र के अन्तर्गत विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.807 हे.0 वन भू.लो.0 नि.0 वि.0 प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
चमोली
तहसील-घाट
जनपद -चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी
चमोली
तहसील-घाट
जनपद -चमोली

प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नामः—तेफना (ग्वाला तोक)
तहसीलः— कर्णप्रयाग जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजन के निर्माण हेतु ०.०० हे० आरक्षित वन भूमि, ०.१५० हे० सिविल सोयम भूमि, ०.०० हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल ०.१५० हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तेफना (ग्वाला तोक) द्वारा दिनांक १५/०६/०८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु तिस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तेफना (ग्वाला तोक) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हे०/-
ग्राम सचिव



नोट :—* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1


दिनांक २३/०७/२० को ग्राम सभा तेफना (गवाला तोक) की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत तेफना (गवाला तोक)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	कुवर मिश कोठा	Kumar Mish
2.	जीत पाल मिश	Jit Pal Mish
3.	जोत मिश	Jot Mish
4.	नरेंद्र मिश विहर	Narendra Mish Vihar
5.	धन मिश	Dhan Mish
6.	प्रेष मिश राणा	Priya Mish Rana
7.	सुरेन्द्र मिश	Surendra Mish
8.	अवान मिश	Awan Mish
9.	गणेश मिश	Ganesh Mish
10.	कमल कोठा	Kamal Kotha
11.	बता कोठा	Bata Kotha
12.	अटिता टेकी	Atita Teki
13.	स्त्रिता टेकी	Striti Teki
14.	मीतपाल कोठा	Mitpal Kotha

80/-

ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :— मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-पुणकिला
तहसील:- घाट, जिला:- चमोली


अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.024 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.024 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुणकिला द्वारा दिनांक २४/०९/१८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पुणकिला के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।
 ग्राम पुणकिला / चमोली
 ह०/ विकास खण्ड
 ग्राम सचिव



नोट :—* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।


दिनांक २४/०४/१७ को ग्राम सभा पुणकिला की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत पुणकिला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	पुणकिला जी	जपेश्वर
2.	बिल्लू लाल	बिल्लू लाल
3.	नरनद राज	नरनद राज
4.	राजनंद राज	राजनंद राज
5.	संजु देवी	संजु देवी
6.	आर्टिक री	आर्टिक री
7.	बलिला देवी	बलिला देवी
8.	अपव राज	अपव राज
9.	बादू राज	बादू राज
10.	नाना राज	नाना राज
11.	राज राज	राज राज
12.	शुल राज	शुल राज
13.	सौवी देवी	सौवी देवी
14.	बिल्लू राज	बिल्लू राज
15.	बलती देवी	बलती देवी
16.	रामेश्वर राज	रामेश्वर राज
17.	पुरुष राज	पुरुष राज

ग्राम प्रधान

ह०/-



परियोजना का नाम :- मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम:-राजबगटी (सिमली मगरी)
तहसील:- घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मा० मु० मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.680 हे० सिविल सोयम भूमि, 1.736 हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 2.416 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत राजबगटी (सिमली मगरी) द्वारा दिनांक २५/०५/१७ ...को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधिकानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम राजबगटी (सिमली मगरी) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

~~प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।~~

ग्राम सचिव
हे०/-
ग्राम सचिव



नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र—23.1

दिनांक २४।०५।१७ को ग्राम सभा राजबगटी (सिमली मगरी) की सम्पन्न बैठक में
उपस्थिति

ग्राम पंचायत राजबगटी (सिमली मगरी)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	<ul style="list-style-type: none"> - वन्देमानी प्रसाद शुक्ल हिट राजेश प्रसाद शुक्ल हिट प्रसाद पुराहित प्रगपति भूषी हिट विवेक हिट प्रसाद शुक्ल हिट दिया हेडी उमा हेडी 	<ul style="list-style-type: none"> - वन्देमानी राजेश प्रसाद शुक्ल हिट प्रसाद पुराहित प्रगपति भूषी हिट विवेक हिट प्रसाद शुक्ल हिट दिया हेडी उमा हेडी



प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :— माठ मुठ मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नामः—भेरणी (पाणीगैर)
तहसीलः—घाट, जिला—चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत माठ मुठ मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हेतु आरक्षित वन भूमि, 0.128 हेतु सिविल सोयम भूमि, 0.00 हेतु वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 0.128 हेतु वन भूमि का लो० नि�० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भेरणी (पाणीगैर) द्वारा दिनांक २५/०४/१८ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी क. कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भेरणी (पाणीगैर) के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

~~प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।~~

~~ग्राम पंचायत अधिकारी
मुख्यमन्त्री
ह०/— उपरान्त द्वारा (चमोली)~~
ग्राम सचिव



नोट :—* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1


दिनांक २७/०८/१७ को ग्राम सभा भेरणी (पाणीगैर) की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत भेरणी (पाणीगैर)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
१	शशुभीरू + सैद शवर	
२	मोहन सिंह	
३	बुधस लिंग	
४	लोमादेवी	
५	चंद्रा देवी	
६	सावित्री देवी	
७	आशाद लिंग	
८	डिलवर कुट्टी	
९	लक्मा लिंग	
१०	रमेश कुट्टी	
११	राजा देवी	
१२	लोला देवी	
१३	समिपरी देवी	
१४	दुर्योग लिंग	
१५	माधवराम	



ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :— माठ मुठ मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में गवाला से भेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नामः—भेरणी
तहसीलः—घाट, जिला:- चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत माठ मुठ मंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा थराली के विकास खण्ड घाट में गवाला से भेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.00 हेठा आरक्षित वन भूमि, 0.00 हेठा सिविल सौयम भूमि, 1.239 हेठा क., पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.239 हेठा वन भूमि का लोठ निर्विवाद संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भेरणी द्वारा दिनांक १५/०६/२०११ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि दन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भेरणी के ग्राम वासियों को उक्त सिविल भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमापत्ति किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत की बैठक
दिनांक १५/०६/२०११
प्रयोक्ता एजेन्सी
विकास खण्ड-घाट (चमोली)
हेठा/-
ग्राम सचिव



नोट :—* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।



उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक २७/०८/१७ को ग्राम सभा भेरणी की सम्पन्न बैठक में उपस्थिति

ग्राम पंचायत भेरणी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	अरु छहू	अरु छहू
	माटेपलालू	माटेपलालू
	जमन छहू	जमन छहू
	पिलवर छहू	पिलवर छहू
	जेजी लाल	जेजी लाल
	बाल्चु लाल	बाल्चु लाल
	माहूरुरी देवी	माहूरुरी देवी
	लुहड़ी लाल	लुहड़ी लाल
	लुल लाल	लुल लाल
	कवरी देवी	कवरी देवी
	टीना देवी	टीना देवी
	परिला देवी	परिला देवी
	आम देवी	आम देवी
	अचाड़ी देवी	अचाड़ी देवी
	पिलाला देवी	पिलाला देवी
	फुला फुलू	फुला फुलू
	गोता देवी	गोता देवी
	पातपाल मिट्टी	पातपाल मिट्टी



जियोरेफेरेन्स मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में गवाला से भेरणी तक 8 कि०मी० मोटर मार्ग एवं 60 मी० स्पान सेतु के निर्माण हेतु

0 0.5 1.0 2.0 Km

Scale - 1:10,000


79°20'30"E

79°21'0"E



ID	Longitude	Latitude
1	79°20' 18.978" E	30°18' 15.167" N
2	79°20' 25.661" E	30°18' 16.831" N
3	79°20' 33.812" E	30°18' 22.029" N
4	79°20' 28.550" E	30°18' 21.316" N
5	79°20' 35.203" E	30°18' 23.009" N
6	79°20' 40.551" E	30°18' 22.923" N
7	79°20' 47.163" E	30°18' 25.089" N
8	79°20' 54.031" E	30°18' 29.193" N
9	79°20' 52.166" E	30°18' 27.843" N
10	79°20' 55.393" E	30°18' 30.891" N
11	79°20' 51.622" E	30°18' 29.525" N
12	79°20' 56.105" E	30°18' 33.245" N
13	79°21' 0.056" E	30°18' 37.378" N
14	79°20' 54.979" E	30°18' 39.309" N
15	79°20' 50.208" E	30°18' 32.421" N
16	79°20' 49.785" E	30°18' 34.455" N
17	79°20' 53.402" E	30°18' 41.324" N
18	79°20' 59.450" E	30°18' 41.316" N
19	79°21' 2.746" E	30°18' 45.495" N
20	79°20' 58.022" E	30°18' 42.007" N
21	79°20' 54.023" E	30°18' 44.452" N
22	79°20' 50.003" E	30°18' 42.606" N
23	79°20' 55.825" E	30°18' 45.400" N
24	79°20' 49.228" E	30°18' 43.715" N
25	79°20' 45.432" E	30°18' 41.582" N
26	79°20' 42.269" E	30°18' 38.763" N
27	79°20' 46.394" E	30°18' 44.960" N
28	79°20' 55.460" E	30°18' 48.548" N
29	79°21' 0.689" E	30°18' 52.429" N
30	79°21' 7.342" E	30°18' 54.380" N
31	79°21' 2.348" E	30°18' 52.884" N
32	79°20' 56.280" E	30°18' 51.074" N
33	79°20' 49.987" E	30°18' 51.742" N
34	79°20' 43.833" E	30°18' 48.922" N
35	79°20' 41.152" E	30°18' 48.192" N
36	79°20' 46.553" E	30°18' 51.747" N
37	79°20' 54.071" E	30°18' 54.232" N
38	79°20' 51.938" E	30°18' 55.026" N
39	79°20' 47.734" E	30°18' 57.500" N
40	79°20' 51.748" E	30°19' 0.967" N

Muck Dumping				
A	79°20' 27.870"E	30°18' 18.100"N		
B	79°20' 32.360"E	30°18' 20.950"N		
D	79°20' 48.440"E	30°18' 33.220"N		
C	79°20' 58.400"E	30°18' 37.360"N		
E	79°21' 1.840"E	30°18' 45.120"N		
F	79°20' 57.310"E	30°18' 41.640"N		
G	79°20' 48.590"E	30°18' 40.050"N		
I	79°20' 42.570"E	30°18' 38.950"N		
J	79°20' 43.900"E	30°18' 41.330"N		
K	79°20' 50.980"E	30°18' 48.120"N		
L	79°21' 6.420"E	30°18' 52.460"N		
M	79°21' 7.240"E	30°18' 53.280"N		
O	79°20' 41.540"E	30°18' 47.260"N		
P	79°20' 49.240"E	30°18' 52.950"N		
Q	79°20' 55.430"E	30°18' 54.800"N		
R	79°20' 56.380"E	30°18' 55.840"N		
S	79°20' 48.220"E	30°18' 54.400"N		



प्रभागीय छात्राधिकरण
द्वारा नम्बर तीन प्रभाग, शीघ्रता

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०

कर्णप्रयाग

कल्पनालय अस्सिनमेंट्स (प्रा.)
पुस्तकालय नं. १३० पृ. १०

सहायता


प्रान्तिक खण्ड १५ अनुवाद

कर्णप्रवास

Legend

- Muck Disposal
 - Proposed Road
 - GPS Coordinates
 - Proposed Bridge

डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में गवाला से भेरणी तक 8 किमी मोटर मार्ग एवं 60 मी स्पान सेतु का निर्माण




Legend

- Muck Disposal
 - Proposed Bridge
 - Proposed Road
 - Alternate Road
 - Reserve Forest
 - Reserve Forest Boundary
 - Forest Range Boundary
 - Forest Forest Boundary

प्रभागीय विद्युतिकरण
वन प्रकल्प, गोपेश्वरा


जल्ला, गोपेश्वरा

जीयोरेफ़ेन्स मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में गवाला से भेरणी तक 8 किमी 10 मोटर मार्ग एवं 60 मी 0 स्पान से तु के निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल



डिजिटल मैप – जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक 8 कि0मी0 मोटर मार्ग एवं 60 मी0 स्पान सेतु का निर्माण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

0 0.5 1 1.5 2 Km



Legend

- █ Proposed Plantation
- Reserve Forest
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Forest Boundary

प्रभागीय अधिकारी
गवाला वन प्रक्षेत्र, बीपेश्वरा

संचयी अधिकारी
प्राकृतिक उत्तरार्द्ध वि. वि.

कनाली अधिकारी (प्राकृतिक)
आठ लाख निर्माण
कर्णप्रयाग

संहायक अधिकारी
प्राकृतिक खण्ड वि. वि.
विधायक

बन वैश्वानिकारी
चमोली रेज
वन विभाग का प्रक्षेत्र गोमेश्वरा